

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 15.04.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना देवराहट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 121/24 धारा 144(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अमिताभ सिंह पुत्र निरंजन सिंह निवासी जयप्रकास नगर थाना कोंच जनपद जलौन को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना अमराहट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 118/26 धारा 137(2)/65(1)/351(3) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विनय बाबू उर्फ कल्लू निवासी ग्राम बिछावली बाँगर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रणवीर सिंह उर्फ बन्टू सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी वार्ड नं0 14 नेहरूनगर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 26 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 151/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त योगेश कुमार उर्फ शिवम कुमार पुत्र अजमेर सिंह निवासी ग्राम पिण्डार्थु उम्र करीब 27 वर्ष थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 33 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 045/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 109/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्ता मुस्कान पुत्री रमेश किसान निवासिनी ग्राम बनकुई सकवाई थाना मोहमदाबाद जनपद फर्रुखाबाद (फतेहगढ़) उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 14 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना

अमराहट पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।